

L
22 पतावली पेश हुई। वकील प्राची
लगातार अनु० रहा हैं। वकील
प्राची को आवाज दिलायी गयी।
आज भी वकील प्राची या स्वयं
प्राची उप० नहीं हैं। अतः प्राची-
पत्र अकामना अपन हाजरी / जैरकी
में खारिज किया जाता हैं। प्रकरण
कई राजिस्टर से कम किया जाकर
फफ्तर काबिल है।

७

